	2-2-15 पत्रावली पेश हुई/वकील ~~वादी/प्रतिवादी/~~ ~~अपीलार्थी/रेस्पोन्डेन्ट/प्रार्थी/अप्रार्थी/~~उभयपक्ष उपस्थित हैं/~~अनुपस्थित है।~~ श्रीमान् पीठासीन अधिकारी भ्रमण पर हैं/~~अवकाश पर हैं/अन्य कार्यों में व्यस्त हैं/... स्थानांतरण हो गया है।~~ अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 16-2-2015 को पेश हो। रीडर	
16-2-15	वकील उभयपक्ष उप० है। वास्ते कायमी तनकी पत्रावली दि० 3-3-16 को पेश हो।	
3-3-16	वकील उभयपक्ष उप० है। वास्ते कायमी तनकी पत्रा० दि० 16-3-16 को पेश हो।	
16-3-16	वकील उभयपक्ष उप० है। वास्ते कायमी तनकी पत्रा० दि० 4-5-16 को पेश हो।	
4-5-16	वकील उभयपक्ष उप० है। वास्ते कायमी तनकी पत्रावली दि० 8-6-16 को पेश हो। पुनश्च: दि० 10-5-16 को ग्राम पं० नारायणपुर में राजस्व शिविर लोक अदालत का आयोजन होना है। अतः यह पत्रावली दि० 10-5-16 को राजस्व शिविर लोक अदालत कैम्प नारायणपुर में पेश हो। उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी	5-19-2 6/7/16
10-5-16	पत्रावली आज लोक अदालत राजस्व शिविर नारायणपुर पर पेश हुई। वादीगण व प्रति० नं० 1, 2, 4, 5/2, 6 उपस्थित है। पक्षकारों ने राजीनामा इस आशय का पेश किया है कि प्रतिवादी गंगाराम के खाते में दर्ज भूमि ख०नं० 532 रकबा 37 एयर में साबिक रकबे के मुकाबले 4 एयर भूमि ज्यादा आई है एवं अन्य प्रतिवादीगण की भूमि ख०नं० 533 रकबा 36 एयर में साबिक रकबे के मुकाबले 6 एयर भूमि ज्यादा आई है। इसी अनुसार इन दोनों नम्बरो में से कुल 10 एयर भूमि ग्राम हीरापुर प्रतिवादीगण के खाते से कम कर वादीगण के खाते में दर्ज करने में व इसी अनुसार बार पत्र का निर्णय करने में हम	हान जिव क हम्रू लखपत भीमसिंह बाबूल 5/7/1

का कैंसल कर दिया जावे।

राजीनामे पर पक्षकारों को सुना गया। पटवारी हलका से राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया गया। ~~[illegible]~~ साबिक ख० नं० 1137 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा ग्राम नारायणपुरा (हाल ग्राम हीरापुर) वादी बदरी व स्व० फूलचन्द की भूमि रही है। भू-प्रबन्ध में इसके ख० नं० 2278/0.26, 2279/0.47, 2279/3076/0.01 बनाए हैं। ग्राम नारायणपुर में से नवीन राजस्व ग्राम हीरापुर बनने पर इसके नवीन नम्बर 529/0.26, 530/0.01, 531/0.47 बनाए हैं जो वादीगण के नाम हैं। यह रकबा साबिक रकबे से 20 एयर कम है। वादीगण का कथन है कि उनका यह 20 एयर रकबा ख० नं० 2280 व 2281 में शामिल कर प्रतिवादीगण के नाम लगा दिया गया है। ख० नं० 2280 का नवीन नम्बर 532 व ख० नं० 2281 का नवीन नम्बर 533 बना है। इन दोनों नम्बरों की राजस्व रेकार्ड की स्थिति देखने से ज्ञात होता है कि साबिक ख० नं० 1169 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा का नवीन नम्बर 2280 रकबा 37 एयर ~~[illegible]~~ बना है जो प्रतिवादी नं० 1 की खातेदारी में दर्ज है अर्थात इस नम्बर में साबिक रकबे के मुकाबले 4 एयर भूमि ज्यादा है तथा ख० नं० 2280 का नवीन ग्राम बनने के बाद ख० नं० 532 कायम हुआ है। इसी प्रकार साबिक ख० नं० 1170 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा का नवीन नम्बर 533 रकबा 36 एयर बना है जो प्रतिवादी नं० 2 ता 7 की खातेदारी में है अर्थात इस नम्बर में साबिक रकबे के

1519-29
6/7/11

बजरी के बाद इसका नवीन ख०नं० 533 बना है। इस प्रकार अभिलेख के अनुसार ख०नं० 532 में 4 एयर भूमि प्रतिवादी गंगाराम को व ख०नं० 533 में 6 एयर भूमि प्रतिवादी नं० 2 ता 7 को ज्यादा दी गई है एवं ये दोनो नम्बर वादीगण की भूमि ख०नं० 529, 530, 531 के लगावां ही है। राजीनामे में पक्षकारों ने यह 10 एयर भूमि प्रतिवादीगण के नाम से हटाकर वादीगण के नाम दर्ज करने का व इसी अनुसार मुकदमे का निर्णय करने का निवेदन किया है।

अतः प्रस्तुत राजीनामा व राजस्व अभिलेख का अवलोकन करने के बाद वादीगण का वाद राजीनामा अनुसार आंशिक डिक्री किया जाता है। भूमि ख०नं० 532 रकबा 37 एयर में से 4 एयर भूमि व ख०नं० 533 में से 6 एयर भूमि कुल 10 एयर भूमि, ख०नं० 531 से लगती हुई ग्राम हीरापुर का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यह भूमि प्रतिवादीगण की खातेदारी में से कम की जाकर वादीगण की खातेदारी में दर्ज की जावे व इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड व नक्शा ट्रेस में दुरुस्ती की जावे। पर्चा डिक्री जारी किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(सतीश कुमार शर्मा) (रवि कुमार शर्मा) (मुनिदेव यादव)

एडवोकेट
सदस्य
लोक अदालत
गंगापुर सिटी

एडवोकेट
सदस्य
लोक अदालत
गंगापुर सिटी

अध्यक्ष
लोक अदालत
गंगापुर सिटी
एवं
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी
कैम्प नारायणपुर

8

मूल वाद मे डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखंड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर गंगापुर सिटी

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) नारायणपुर

पीठासीन अधिकारी—: मुनिदेव यादव, आर.ए.एस.

उनवान

1. बदरी पुत्र अमरचंद, मीना निवासी हीरापुर तह0 गंगापुर सिटी
2. कजोडी पत्नी फूलचंद मीना निवासी हीरापुर तह0 गंगापुर सिटी
3. घनश्याम पुत्र फूलचंद मीना निवासी हीरापुर तह0 गंगापुर सिटी

——वादीगण

बनाम

1. गंगाराम पुत्र भोरया मीना निवासी हीरापुर तह0 गंगापुर सिटी
2. बाबू पुत्र कल्याण मीना निवासी हीरापुर तह0 गंगापुर सिटी
3. धर्मेश पुत्र कल्याण मीना निवासी हीरापुर तह0 गंगापुर सिटी
4. शम्भू पुत्र छीतरया मीना निवासी हीरापुर तह0 गंगापुर सिटी
5. सम्पत पुत्र छीतरया मीना निवासी हीरापुर तह0 गंगापुर सिटी (मृतक)

5/1. विमला पत्नी सम्पत मीना निवासी हीरापुर तह0 गंगापुर सिटी

5/2. भीमसिंह पुत्र सम्पत मीना निवासी हीरापुर तह0 गंगापुर सिटी

6. लखपत पुत्र छीतरया मीना निवासी हीरापुर तह0 गंगापुर सिटी
7. नरसी बेबा छीतरया मीना निवासी हीरापुर तह0 गंगापुर सिटी (मृतक नाम हजफ)
8. तहसीलदार गंगापुर सिटी

——प्रतिवादीगण

दावा घोषणा खातेदारी, इन्द्राज दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. — 140/2007

वादी की ओर से वादीगण बदरी, घनश्याम, कजोडी व प्रतिवादीगण की ओर से प्रतिवादी गंगाराम भोरया की उपस्थिति में इस वाद मे आज तारीख 10.5.2016 को मुनिदेव यादव (पीठासीन अधिकारी) के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश दिया जाता है कि और डिक्री दी जाती है कि

लोक अदालत में पक्षकारो द्वारा प्रस्तुत राजीनामे के अनुसार भूमि ख0न 532 रकबा 37 एयर मे से 4 एयर भूमि व ख0न0 533 मे से 6 एयर भूमि कुल 10 एयर भूमि, ख0न0 531 से लगती हुई ग्राम हीरापुर का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यह भूमि प्रतिवादीगण की खातेदारी मे से कम की जाकर वादीगण की खातेदारी में दर्ज की जावे एव इसी अनुसार अभिलेख मे इन्द्राज दुरूस्ती की जावे।

खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 10.5.2016 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

मुनिदेव यादव
उपखंड अधिकारी
गंगापुर सिटी

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1 वादपत्र के लिए स्टाम्प 2 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3 अर्जी के लिए स्टाम्प 4 ________रूपये पर प्लीडर की फीस 5 साक्षियो के लिए निर्वाह व्यय 6 कमिश्नर की फीस 7 आदेशिका की तामील		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियो के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड		जोड	